पत्र संख्या : 7ब/4702–योजना ज०सं०वि०–04/13 182

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 20-1-14

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–30–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए॰आई॰बी॰पी॰) अ०के०स०, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200796300545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50–लघु सिंचाई विभाग /4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय	796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/30–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए॰आई॰बी॰पी॰) अ०के०स०;	05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य / 50P470200796300545	**0.00**

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ शून्य मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–14 के बजट उपबंध **₹ 8000.00 लाख (₹ अस्सी करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 में अंकित कार्यों के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. **AIBP** योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

17/1/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 182 राँची, दिनांक :– 20-1-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड, पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/दुमका/लातेहार** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

17/1/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 182 राँची, दिनांक :– 20-1-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/ संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	17/1/14 **(अविनाश कुमार)** **सचिव**

पत्रांक – 182 / राँची, दिनांक – 20-1-14 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष–30–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए॰आई॰बी॰पी॰)अ०के०स०
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड–50P470200796300545
बजट उपबंध (वर्ष 2013–14) रू॰ 8000.00 लाख

(लाख रू० में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग / राशि		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			अभ्युक्ति
								पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रृखंलाबद्ध चेकडैम का निर्माण											
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल दुमका	दुमका	जामा	जिरूलिया नाला पर श्रृ॰चेकडैम	47/07.03.11	188.000	88.530	300.00	-50.00	250.00	**Phase-IV**
			शिकारीपाड़ा	ढाका नाला पर श्रृ॰चेकडैम		92.299	65.410				
			मसलिया	बासकीडीह नाला पर श्रृ॰चेकडैम		247.000	150.500				
			रानेश्वर	बुटवरिया नाला पर श्रृ॰चेकडैम		167.070	123.390				
			दुमका	दुमुहानी नाला पर श्रृ॰चेकडैम		179.290	96.780				
			जरमुंडी	पालोजोरी जोरिया पर श्रृ॰चेकडैम		160.465	109.300				
			जरमुंडी	बीद्राजोरी जोरिया पर श्रृ॰चेकडैम		125.665	81.770				
			सरैयाहाट	गोविन्दपुर जोरिया पर श्रृ॰चेकडैम		125.665	0.000				
			सरैयाहाट	नावाडीह जोरिया पर श्रृ॰चेकडैम		90.120	0.000				
			मसलिया	निझोर जोरिया नाला पर श्रृ॰चेकडैम		195.140	150.510				
			काठीकुंड	इरो नाला पर श्रृ॰चेकडैम		183.080	124.690				
			जामा	पहाडपुर भरभरी नाला पर श्रृ॰चेकडैम		201.000	77.880				
			दुमका	पोदाईडीह नाला जोरिया पर चेकडैम		50.640	17.520				
			रानेश्वर	कदमा नाला जोरिया पर चेकडैम		48.430	20.420				
			दुमका	पताईथान जोरिया नाला पर चेकडैम		48.660	26.690				
			दुमका	बांकेडीह जोरिया नाला पर चेकडैम		50.630	30.430				
			दुमका	सिंहनी जोरिया नाला पर चेकडैम		48.870	30.880				
			दुमका	ठाढी जोरिया नाला पर चेकडैम		50.230	33.490				
			दुमका	भुरीसीमला जोरिया नाला पर चेकडैम		49.840	30.670				
			रानेश्वर	सालतल्ला जोरिया नाला पर चेकडैम		47.370	20.430				
							योग	**300.00**	**-50.00**	**250.00**	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार	लातेहार	मनिका	पवही नाला पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	60.129	47.045	120.00	50.00	170.00	**Phase-IV**
			मनिका	ब्रम नदी पर श्रृ॰ चेकडैम		66.640	51.366				
			चंदवा	गनियारी नाला पर श्रृ॰ चेकडैम		59.056	19.244				
			चंदवा	अमझरिया नदी पर श्रृ॰ चेकडैम		156.510	0.000				
			लातेहार	डुडंगी नाला पर श्रृ॰ चेकडैम		77.540	59.776				
			गारू	टाटी नाला पर श्रृ॰ चेकडैम		79.950	44.369				
			महुआटांड	नकटी नाला पर श्रृ॰ चेकडैम		141.770	59.902				
			मनिका	तिसवा नदी पर पक्का चेकडैम		29.020	27.115				
							योग	**120.00**	**50.00**	**170.00**	
							सकल योग	**420.00**	**0.00**	**420.00**	

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ शून्य मात्र।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(अविनाश कुमार)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	सचिव